Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में उधान विभाग का सहायक निदेशक 2.5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज बूंदी में कार्यवाही करते हुये रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक हार्टीकल्चर (उधान विभाग) जिला बूंदी को परिवादी से 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वह सोलर कनेक्शन का कार्य करता है, सहायक निदेशक हार्टीकल्चर (उधान विभाग) बूंदी द्वारा प्रति कनेक्शन/प्रति फाईल 4 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर तथा रिश्वत नही देने पर नया कार्य देने से मना कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बूंदी इकाई के **उप पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचन्द मीना** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **मय पुलिस निरीक्षक श्री ताराचन्द** व टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामप्रसाद पुत्र मोरपाल मीना निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी, हाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा जिला बूंदी, हाल सहायक निदेशक हार्टीकल्चर (उधान विभाग) जिला बूंदी को परिवादी से **2.5 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।